न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या- 291/2016

1- सुमेरसिंह पुत्र ठाकुर मदनसिंह जाति राजपूत निवासी नवलगढ हाल निवासी 277 बाल्मिकी मार्ग कोर्स डिफेन्स कोलोनी बैशाली मार्ग जयपुर ।

2- उम्मेदकुमारी पुत्री स्व0 ठाकुर मदनसिंह जाति राजपूत निवासी 303 कमल अपार्टमेन्ट राम मन्दिर के पास पावर हाऊस रोड जयपुर ।

---अपीलान्टस---

---बनाम---

1- देवेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 संग्रामसिंह जाति राजपूत निवासी कोठी रूप निवास नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू ।

2- तहसीलदार सुरजगढ भूमि धारक राजस्थान सरकार ।

3- जिलाधीश झुन्झुनू प्रतिनिधि राजस्थान सरकार ।

---रेस्पोन्डेन्टस---

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 8-8-2016 द्वारा उप
खण्ड अधिकारी सुरजगढ ।

---0---

उपस्थित-

1- श्री सुभाषचन्द पूनिया एडवोकेट- अपीलान्ट

निर्णय दिनांक- 15.11.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अदालत मातहत में वादी अपीलान्टस ने दावा बाबत उदघोषणा व रेकार्ड दुरूस्ती का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण के पिता एवं प्रतिवादी सं0-1 के दादा स्व0 ठाकुर मदनसिंह की कृषि भूमि खसरा नं0 103 रकबा 1.90 हैक्टर, ख0नं0 833 रकबा 0.80 हैक्टर ख0नं0 942 रकबा 0.60 हैक्टर कस्बा पिलानी में अवस्थित है । वादीगण एवं प्रतिवादी सं0-1 एक ही परिवार व खानदान के सदस्य है । ठाकुर मदनसिंह के

किन्तु राजस्व अधिकारियों ने इस आराजी को ठाकुर मदनसिंह के वारिसान के नाम दर्ज नहीं की । जिससे यह दावा किया गया ।अतः दावा स्वीकार कर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या-1 को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ।अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादीगण का दावा खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । दावा दर्ज होने से लेकर दिनांक 10-3-2016 तक समस्त पेशियों पर पीठासीन अधिकारी उपस्थित नहीं रहें। दिनांक 10-3-16 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध तामिल मानकर एकपक्षीय कार्यवाही कर उसी दिन मुकदमे को निर्णय मे रख दिया ।तथा दिनांक 8-8-16 का निर्णय पारित कर दिया । वकील वादी ने अपीलान्ट से कह दिया था कि आवश्यकता होने पर सूचना कर बुला लूंगा प्रत्येक पेशी पर आने की कोई आवश्यकता नही है । वकील वादीगण ने अपीलान्ट को आदेश की कोई सूचना नहीं दी। दिनांक 22-11-2016 को निर्णय की सूचना दी। तब अपीलान्ट को निर्णय दिनांक 8-8-2016 के निर्णय की जानकारी हुई। जानकारी से यह अपील अन्दर मियाद पेश की गई है । रेस्पोडेन्ट के द्वारा विवादित आराजी अपीलान्ट की पैत्रिक नहीं होने बाबत कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है । तथा न ही दावे का कोई विरोध किया । इसके बाद भी अदालत मातहत ने वादी का दावा खारिज करने मे कानूनी भूल की है ।अपीलान्ट को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश करने का कोई उचित अवसर नहीं दिया गया । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एव डिक्री निरस्त कर वादीगण का दावा डिक्री किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की एकपक्षीय सुनी गई । विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर दावा डिक्री किया जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई ।पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं0-2054 से 2057 मे आराजी ख0नं0 103, 833, 942 कुल किता -3 रकबा 3.30 हैक्टर की खातेदारी ठा0 मदनसिंहजी नवलगढ के नाम दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत खसरा नं0 92 के हाल खसरा नं0 103 रकबा 1.90 हैक्टर, गत ख0नं0 252 मी0, 253 के हाल खसरा नं0 833 रकबा 0.80 हैक्टर, गत ख0नं0 253 व 252 के हाल खसरा नम्बर 942 रकबा 0.60 हैक्टर बने हैं । मिसल हकीयत सं0-1999 में ठा0 मदनसिंह के जागीर में दर्ज है नकल जमाबन्दी सं0- 2044 से 2063 में2020 से 2023, 2024 से 2027, 2028 से 2031, 2032 से 2035, 2050 से 2053, 2054 से 2057 में विवादित आराजी ठा0 मदनसिंह जी नवलगढ की खातेदारी में दर्ज है । मृत्यु प्रमाण पत्र में रावल मदनसिंह की मृत्यु दिनांक 25-9-2001 को होना दर्ज है ।अदालत मातहत ने विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया जिसमें प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार विवादित आराजी ठा0 मदनसिंह की जागीर में दर्ज है ।अर्थात उक्त आराजी ठा0 मदनसिंह की व्यक्तिगत न होकर जागीर की आराजी है जो जागीर रिज्यूम होने पर यह आराजी सरकार के खाते में दर्ज हो गई ।इस आराजी पर वादीगण का कब्जा साबित हो ऐसा कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य नहीं है ।अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है ।जिसमें हम कोई हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी सरजगढ का निर्णय एवं डिक्री दिनांक

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 15.11.2017 को सुनाया गया।

15/11/17

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर